

आदेश पत्रक

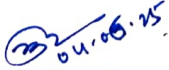
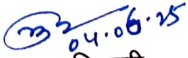
(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

देश पत्रक सं०—

से

जिला — गिरिडीह, अंचल — धनवार, विविध वाद सं०— 21/रान-2025— 26

केस का प्रकार — विविध वाद

आदेश का क० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
04.06.2025	—:आदेश: — यह विविध वाद अभिलेख सं०— 21/2025— 26 आवेदक सुनील कुमार साव, पिता— हरि साव, साकिन— धनवार, थाना— धनवार, जिला— गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०— 07, श्री रामलखन मिस्त्री के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन अनुसार अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा— चादगर, थाना नं०— 200 के खाता सं०— 03, प्लॉट नं०— 19, रकवा— 04 डी० सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाता की भूमि है। उक्त भूमि का दा० खा०— केश नं०— 443/2006 — 07 के द्वारा स्वीकृत होकर लगान रसीद वर्ष 2006 — 07 तक निर्गत है। हल्का में उपलब्ध पंजी— ॥ से मिलान करने से पता चला कि भौतिक पंजी— ॥ में उक्त भूमि का जमाबंदी कायम नहीं है। संलग्न मापी प्रतिवेदन तथा दखल — कब्जा के आधार पर ऑनलाईन पंजी— ॥ में जमाबंदी कायम किया जा सकता है तथा मौजा चादगर के भौतिक पंजी— ॥ के भाग सं०— 1 पृष्ठ सं०— 49 से उक्त वर्णित भूमि का रकवा घटाया जा सकता है। जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अंचल अमीन के मापी —सह— दखल — कब्जा प्रतिवेदन के आधार पर मौजा— चादगर/200 के कायम जमाबंदी के अनुरूप ऑनलाईन पंजी— ॥ में जमाबंदी कायम करने तथा मौजा चादगर के भौतिक पंजी— ॥ के भाग सं०— 1 पृष्ठ सं०— 49 से उक्त वर्णित भूमि का रकवा घटाने के निमित्त आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अंचल अमीन के मापी —सह— दखल — कब्जा प्रतिवेदन के आधार पर मौजा— चादगर/200 के कायम जमाबंदी के अनुरूप ऑनलाईन पंजी— ॥ में जमाबंदी कायम करने तथा मौजा चादगर के भौतिक पंजी— ॥ के भाग सं०— 1 पृष्ठ सं०— 49 से उक्त वर्णित भूमि का रकवा घटाने का आदेश दिया जाता है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०— 07 एवं अंचल निरीक्षक, धनवार को उपरोक्त आदेश का अनुपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  04.06.25 अंचल अधिकारी, धनवार।  04.06.25 अंचल अधिकारी, धनवार।	